"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमाक–5049/वि.स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबधो के पालन मे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 10 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 10 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और सशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष मे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (सशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे होगा ।

(3) यह राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 16–क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) मे, धारा 16–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् –

"16–क. कोई भी सोसाइटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमे औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी

परन्तु यह कि कोई भी सहकारी सोसाइटी, साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यो के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन मे पारित, सकल्प द्वारा, ऐसा सहयोग कर सकेगी

परन्तु यह और कि ऐसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसा सहयोग करने के पूर्व, प्रत्येक मामले मे, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अपने उक्त अधिकार (शक्ति) को आवश्यकतानुसार किसी सक्षम अधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है।"

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (सशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्र. 1 सन् 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उद्देश्य और कारणों का कथन

सहकारी सोसाइटियो मे निजी क्षेत्र की भागीदारी एव सहयोग से औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता, विपणन तथा प्रबधन विशेषज्ञता की उपलब्धता सुलभ कराने हेतु, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 16–क मे सशोधन करने का निर्णय लिया है ।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर
दिनाक– 25–03–2020

डॉ. प्रेमसाय सिह टेकाम
सहकारिता मत्री
(भारसाधक सदस्य)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में व्याख्यात्मक टीप

यह विधेयक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (सशोधन) अध्यादेश 2020 (क्रमाक 1 सन् 2020) के स्थान पर, मत्रिपरिषद् के आदेश दिनाक 24 मार्च 2020 के अनुसार, अध्यादेश मे धारा 16–क के दो परतुक के उपरात तृतीय परतुक जोड़ने के निर्णय अनुसार, रूप भेद सहित पुर स्थापित किया जा रहा है।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–क का उद्धहरण.

धारा 16–क. सोसाइटियो द्वारा सहयोग –

कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारबार के लिए, जिसमे औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी।

चन्द्र शेखर गगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020